

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स. 3(5)(4)स्था./अराजपत्रित/अभि./16/921-70

जयपुर, दिनांक : 29.09.2019

आदेश

निम्न सहायक अभियोजन अधिकारीगण के स्थानान्तरण लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम स0अ0अ0	कहाँ से	कहाँ को	वि0वि0
1.	श्री मनमीत सिंह	न्या. ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., किशनगढ़, जिला अजमेर	स्पेशल मोबाइल न्यायालय, जयपुर जिला	श्री तिवाड़ी के स्थान पर पर
2.	श्री सागर तिवाड़ी	स्पेशल मोबाइल न्यायालय, जयपुर जिला	न्या. ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., किशनगढ़, जिला अजमेर	श्री मनमीत के स्थान पर
3.	श्री राजेश भामू	न्या. सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., जायल, जिला नागौर	न्या. ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., चौमू, जयपुर देहात	श्री सोनल सिंह के स्थान पर
4.	श्री सोनल सिंह	न्या. ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., चौमू, जयपुर देहात	न्या. सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., जायल, जिला नागौर	श्री राजेश भामू के स्थान पर
5.	श्री अवनीश कुमार तलाटी	ग्राम न्यायालय खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	न्या. ए.सी.जे.एम., सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (अभि.अधि. के पद के विरुद्ध)	रिक्त पद पर
6.	श्री विजय कुमार	न्या. सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., शाहपुरा, जयपुर देहात	न्या. सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., कोटपूतली, जयपुर देहात	श्री चौधरी के स्थान पर
7.	श्री सुरेश चौधरी	न्या. सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., कोटपूतली, जयपुर देहात	न्या. सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., शाहपुरा, जयपुर देहात	श्री विजय कुमार के स्थान पर

समसंख्यक आदेश 816-920 दिनांक 29.09.2019 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं। उक्त आदेश में क्रम संख्या 25 पर अंकित श्री मुकेश कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी का एवं क्रम संख्या 43 पर अंकित श्रीमती मनीषा मीणा सहायक अभियोजन अधिकारी का नव पदस्थापन स्थान निम्नानुसार पढा जावे :-

क्र.सं.	नाम स0अ0अ0	कहाँ को	वि0वि0
1	श्री मुकेश कुमार	न्या. ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम. डीग जिला भरतपुर	रिक्त पद पर
2	श्रीमती मनीषा मीणा	न्या. ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम. 1 अजमेर	श्रीमती शिरीन गौरी के स्थान पर

समसंख्यक आदेश 816-920 दिनांक 29.09.2019 द्वारा सुश्री सविता अहलावत का पाली से नागौर एवं श्री घनश्याम सोनी का नागौर से पाली किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।

संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

29/09  
(एस.एन. व्यास)  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि), राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
5. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. संबंधित सहायक लोक अभियोजन, प्रथम द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन
7. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

09  
19  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर